न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमन्द

(अरविन्द कुमार पोसवाल, आई0ए0एस0, जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

प्रार्थना पत्र रेफरेन्स सं. 02/2016

दायर दिनांक 16.08.2016

निर्णय दिनांकः 08.08.2019

अनवान् मुकदमा

श्री चारभुजा स्थान देह शाश्वत नाबालिग मूर्ति चारभुजा जी रावला पाखण्ड जरिये वादमित्र नाहरसिंह पिता हिम्मत सिंह जी जाति चुण्डावत राजपूत निवासी पाखण्ड, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द

————प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार नाथद्वारा
2. श्री किशनदास पिता भेरूदास वैरागी
3. श्री मोहनदास पिता भेरूदास वैरागी
4. श्री गणेशदास पिता भेरूदास वैरागी
5. श्री गौवर्धनदास पिता भेरूदास वैरागी

सभी निवासी पाखण्ड, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द

————अप्रार्थी

रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 एवं 232 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थितः

1– श्री मुकेश तलेसरा, प्रार्थी अधिवक्ता

2– श्री कैलाश चन्द्र बोल्या, राजकीय अधिवक्ता

3– श्री विश्वजीत सिंह कर्णावट, अप्रार्थी संख्या 02 से 05 अधिवक्ता

प्रस्तुत प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी चारभुजा स्थानदेह की ओर से यह प्रार्थना पत्र जरिये वादमित्र नाहरसिंह द्वारा इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम पाखण्ड तहसील नाथद्वारा में चारभुजा का मन्दिर मेवाड गवर्नमेन्ट के समय से स्थापित था तथा मन्दिर के नाम पर कृषि भूमि दर्ज थी मन्दिर का पुजारी भैरूदास वैरागी होकर उक्त मन्दिर की सेवा पुजा उसके द्वारा की जाती रही है। मन्दिर की कृषि भूमि पर उपज फसल मन्दिर के खर्चे एवं पुजारी के परिवार हेतु उपयोग की जाती थी। ग्राम पाखण्ड मे स्थित वर्तमान आराजी नं0 1662 से लगायत 1665 व 1931 से लगायत 1938 तथा 2014, 2015, 2060, 2062, 2064, 2065 कुल किता–18 कुल रकबा 15.08 बीघा भूमि स्थित है जिसके शाबिक नम्बर का उल्लेख करते हुए यह निवेदन किया है कि उक्त भूमि चारभुजा स्थानदेह के नाम पर मेवाड गवर्नमेन्ट के समय दर्ज थी जिससे अप्रार्थी संख्या 02 से 05 के पूर्वाधिकारी भैरूदास द्वारा राजस्व अधिकारियों से मिलीभगत कर अपने नाम पर दर्ज करवा दी गयी है। जबकि उक्त भूमि शाश्वत नाबालिक की है। इसलिए उक्त भूमि में अप्रार्थी संख्या 02 से 05 का कोई हक अधिकार नहीं है। इस लिए प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उक्त भूमि चारभुजा के नाम अंकित कराने हेतु रेफरेन्स राजस्व मण्डल अजमेर मे भिजवाया जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से पेरोकार सरकार द्वारा उपस्थित दी गयी है। अप्रार्थी संख्या 02 से 05 की ओर अधिवक्ता उपस्थित। जिन्होने उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि चारभुजा का मंदिर पाखण्ड मे स्थित होना स्वीकार है लेकिन उक्त मंदिर

अविस्मणीय काल से बना होना गलत है । ग्राम पाखण्ड मे उक्त मंदिर के नाम पर मेवाड गवर्नमेन्ट के समय कृषि भूमि दर्ज होना भी गलत है साथ ही यह भी जवाबदेही रही की उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि माफी की जमीन थी तथा विपक्षी संख्या 02 से 05 का उक्त भूमि का खडमदार के रूप मे राजस्व अभिलेख में नाम अंकित था। विपक्षीगण के पूर्वाधिकारी का नाम शुरू से राजस्व अभिलेख मे अंकित होकर खडमदार के रूप एवं शिकमी काश्तकार के रूप मे अंकित था। उक्त भूमिया विधिक प्रक्रिया के आधार पर विपक्षी संख्या 02 से 05 के पूर्वाधिकारी के नाम पर राजस्व अभिलेख में अंकित की गयी है। प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र अर्द्ध शताब्दी से अधिक समय बाद प्रस्तुत किया है। जो किसी भी अवस्था मे उचित समय की परिभाषा मे नहीं आता है। प्रार्थी मंदिर का पुजारी व सेवायक नहीं है। इसलिए प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पेश करने का अधिकार नहीं है। विपक्षी द्वारा काफी लागत लगाकर भूमि का सुधार किया है। जमीन की किमतों मे वृद्धि होने के कारण द्वेषता से यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। इसलिए प्रार्थना पत्र को खारिज फरमाया जावें।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपने बहस में प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि विवादग्रस्त भूमि मेवाड गवर्नमेन्ट के समय शाश्वत नाबालिक चारभुजा के नाम पर दर्ज थी जिसका पुजारी विपक्षी संख्या 02 से 05 के पूर्वाधिकारी भैरूदास थे जिन्होने उक्त भूमि अपने नाम पर शाश्वत नाबालिक से राजस्व रेकार्ड मे अंकन करा दी है। जिसकी पुष्टि स्वरूप वर्तमान जमाबंदी की नकल, खसरा मिलान की प्रति एवं जमांबदी महक्मा बंदोबस्त जागीरात राज्य उदयपुर मेवाड मौजा पाखण्ड तहसील कोटडी ठीकाना कोठारिया संवत 1992 की नकल प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उक्त भूमि श्री चारभुजा जी उपला स्थानदेह के नाम पर खातेदारी मे दर्ज थी जिसका पुजारी भैरूदास वल्त मोडीराम वैरागी दर्ज था तथा उक्त भूमि वर्तमान में विपक्षी संख्या 02 से 05 के नाम पर दर्ज है। वादग्रस्त भूमि खसरा मिलान से भी प्रमाणित होती है कि उक्त भूमि चारभुजा के नाम पर दर्ज थी वही भूमि अप्रार्थी संख्या 02 से 05 के नाम पर राजस्व रेकार्ड मे दर्ज है। प्रार्थी द्वारा अपने तर्कों के समर्थन मे माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की वृहद पीठ द्वारा पारित निर्णय तारादेवी बनाम राजस्थान राज्य का निर्णय प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि रेफरेन्स देव प्रतिमा द्वारा धारित भूमि जो कि मूर्ति का नाम खातेदारी से विलोपित कर शिवायत/पुजारी द्वारा विक्रय की गयी हो तो ऐसा विक्रय अभिलेख प्रारम्भ से ही शुन्य है मंदिर मूर्ति की भूमि मे प्रतिकुल कब्जा द्वारा कोई खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते है तथा ऐसी भूमि के संबंध में रेफरेन्स पेश करने की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं होती है। इसलिए उक्त भूमि पुनः चारभुजा के नाम पर दर्ज करने हेतु प्रकरण राजस्व मण्डल अजमेर मे रेफरेन्स के रूप मे प्रेषित किया जावें।

अप्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बहस में जवाब मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि प्रार्थी ने मेवाड स्टेट के राजस्व रेकार्ड को सही ढंग से पढ़कर व सही अर्थ नहीं निकाल कर यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र पेश किया है मेवाड सेटलमेन्ट की जमाबंदी संवत 1992 के खाता संख्या 235/1 की भूमि माफी पुजनार्थ की होने से इस पर लगान माफ था। चारभुजा के नाम पर उक्त भूमि मालिक के रूप मे दर्ज न होकर खातेदार के कॉलम दर्ज थी मालिक के रूप मे माफी की भूमि थी और अप्राथी संख्या 02 से 05 के पूर्वाधिकारी भैरूदास शिकमी काश्तकार था। उक्त भूमि मंदिर के नाम पर कभी दर्ज नहीं थी बल्कि विधिक रूप से भैरूदास के नाम पर दर्ज हुयी थी जो विरासत से विपक्षी संख्या 02 से 05 के नाम पर दर्ज हुयी है। वादग्रस्त भूमि के चारभुजा स्थानदेह जागीरदार एवं माफीदार के रूप मे थे उनको माफी पुजनार्थ अंकित उक्त भूमि के जागीरदार एवं माफीदार की हैसियत से केवल लगान प्राप्त करने का अधिकार था मेवाड स्टेट के कानून माल मेवाड में धारा 31 मे काश्तकार की परिभाषा दी गयी है तथा धारा 37 में काश्तकार की श्रेणी में शिकमी काश्तकार माना है। तथा धारा 38 में माफीदार को काश्तकार माना

है। जागीरदारी रिजम्शन अधिनियम 1952 एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से जागीरदार की सम्पति राज्य सरकार मे रिज्यूम हो गयी है। मेवाड सेटलमेन्ट से अप्रार्थी का नाम राजस्व रेकार्ड मे अंकित है। ऐसा कोई आदेश राजस्व अधिकारियों द्वारा नहीं किया गया है। जिसके संबंध में रेफरेन्स पेश किया जा सकें। मयाद का बिन्दु रेफरेन्स के लिए महत्वपूर्ण बिन्दु है। पचास साल बाद यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जो उचित समय सीमा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्त भूमि मंदिर के नाम पर खुदकाश्त दर्ज नही है। इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र आधारहीन होने से खारिज फरमाया जावें। अपने तर्को के समर्थन आर0आर0डी0 2015 पेज 1130, आर0आर0डी0 2017 पेज 434, डी0एन0जे0 2019 पेज 265, ए0आई0आर0 1978 इलाहबाद पेज 1, डी0एन0जे0 2018 राजस्थान पेज 23, आर0आर0डी0 2014 पेज 98, आर0आर0डी0 2016 पेज 33, डी0एन0जे0 2014 पेज 387, आर0आर0डी0 2013 पेज 45, आर0आर0डी0 1995 पेज 191, आर0आर0डी0 2000 पेज 570, आर0आर0डी0 2007 पेज 114, डब्ल्यू0एल0सी0 2000 पार्ट प्रथम पेज 741 पेश किये गये है। तथा उक्त प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया गया है।

उभयपक्ष के अधिवक्ता की बहस पर मनन विचार किया गया। अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया है। राजस्व मण्डल राज0 अजमेर के प्रकरण संख्या 3243/दौसा 2016, अनवान रामेश्वरसिंह बनाम जगदीश प्रसाद व अन्य मे पारित निर्णय दिनांक 11.04.2017 अनुसार निजी व्यक्ति रेफरेन्स दायर नहीं कर सकता है। (आर0आर0डी0 434, 2017) इसी आधार पर यह याचिका खारिज करने योग्य पाई जाती है। फिर भी यदि गुणावगुण के आधार पर प्रकरण का विश्लेषण किया जाये तो अप्रार्थी कदीमी रूप से भूमि काश्त करता आ रहा है और मेवाड़ सेटलमेन्ट के समय से अर्थात आजादी से पूर्व अप्रार्थीगण उक्त भूमि के रेकार्डेड खातेदार रहे है व लगभग 70–80 वर्षो से अप्रार्थी निरन्तर रूप से भूमि पर काबिज रहे है। अप्रार्थी द्वारा कई दृष्टांत प्रस्तुत किये गये है कि इतने लम्बी अवधि बाद रेफरेन्स दायर नहीं किया जा सकता है। और इस मत से यह न्यायालय सहमत है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत याचिका पूर्ण रूप से सारहीन व आधारहीन होने के कारण खारिज किया जाना न्यायोचित है।

:आदेश::

उपरोक्त विवेचनान्तर्गत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स याचिका आधारहीन होने से खारिज किया जाता है।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला कलक्टर
राजसमन्द

निर्णय आज दिनांकः 08.08.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला कलक्टर
राजसमन्द